न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 12/2018
RCMS Case No. - 2018/00012

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 तहसीलदार (भूमिधारी) मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1 कूपाराम पुत्र केसाराम जाति सिरवी निवासी जाड़न 2 देवाराम पुत्र पन्नाराम जाति कलाल निवासी जाड़न 3 नेमाराम पुत्र केसाराम 4 भूराराम पुत्र केसाराम 5 मगनाराम पुत्र केसाराम जातिगण सीरवी निवासीगण जाड़न तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (4) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम पटेल, सरकारी पैरोकार
2. श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक 29/7/2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के नियम 17 (4) के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को ग्राम जाड़न के खसरा नम्बर 471 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा भूमि के आवंटन को निरस्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम ग्राम जाड़न के खसरा नम्बर 471 की भूमि भीकाराम वगैरा की खातेदारी भूमि थी। खातेदार भीकाराम वगैरा के विरूद्ध चले सीलींग प्रकरण में भूमि अवाप्त होने से जैर अपील विवादित आराजी अधिग्रहण करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आवंटन किया गया, जिसके पश्चात आवंटियों को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किए गए। इसके पश्चात आवंटियों द्वारा उक्त भूमि में से का हस्तान्तरण अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को किया जा चुका हैं। भूमि के मूल खातेदार भीकाराम वगैरा ने सिलींग प्रकरण में हुए निर्णय के विरूद्ध अपर न्यायालयों में अपीलें दायर करवाई गई, जिसमें अन्तिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जिसमें भीकाराम वगैरा के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए किंचित मात्र भूमि भी अधिग्रहण योग्य नहीं मानते हुए भूमि पुनः भीकाराम

अति० जिला कलक्टर, पाली

वगैरा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए गए हैं। चूंकि उक्त भूमि का आवंटन किया जा चुका था, इस कारण विधि अनुसार आवंटन अपास्त होने के पश्चात ही उक्त भूमि पुनः मूल खातेदार भीकाराम वगैरा के नाम दर्ज की जा सकती हैं। अतः माननीय अपर न्यायालयों के निर्णय की पालना में भूमि पुनः मूल खातेदार के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं जैर प्रार्थना पत्र विवादित आवंटन को अपास्त कराने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी अप्रार्थीगण को आवंटनएवं खरीदसुदा है, जिसमें अप्रार्थी सद्भावी क्रेता की श्रेणी में आते है तथा वर्षो पहजे उक्त भूमि की मालियत के अनुसार खरीद की थी, जिसका पंजीयन भी स्वयं प्रार्थी ने ही किया था। किसी भी दशा में कम मूल्य पर वह भूमि खरीद नहीं की हैं। वक्त खरीद से अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर सेटल पज़ेशन हैं। जिन मूल आवंटी को भूमि आवंटन की गई, उनका भूमि वक्त आवंटन से सेटल पज़ेशन हें। उक्त आवंटन वर्ष 1976 में हुआ है, सिलींग भूमि अधिग्रहण होने के पश्चात आवंटन हुई, जिस पर अप्रार्थीगण ने लाखों रूपये लगा कर उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया हैं तथा भूमि सुधार करते हुए उसमें कुएं, मकान, स्थाई निर्माण, हौज, पक्की नालियां आदि का निर्माण करवाया हैं तथा मकान बना कर उसमें रहवास कर रहे हैं। अप्रार्थीगण के पूरे परिवार की आजीविका इस भूमि पर ही निर्भर हैं। साम्य के अधिकारों की सुरक्षा करना अतिआवश्यक है तथा अप्रार्थीगण अन्य पिछड़े वर्ग से है, इस भूमि के अतिरिक्त इनमें पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं हैं, मात्र सरसरी कार्यवाही से अप्रार्थीगण को उक्त भूमि व जोत से अलग थलग कर दिया जाता है, तो उनके जीने के अधिकार प्रभावित होंगे। यदि प्रार्थी को कोई अधिकार उत्पन्न है, तो या अन्य प्रभावित व्यक्ति भीकाराम वगैरा को कोई अधिकार उत्पन्न है, तो खातेदारी अधिकार मिलने के बाद नियमित वाद के जरिये ही उन प्राप्त खातेदारी अधिकारों से विधिक प्रावधानों अनुसार अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। भीकाराम वगैरा न तो प्रकरण हाजा में पक्षकार है तथा न ही उसने नियमित वाद के जरिये अप्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को चुनौती दी हैं। मात्र प्रार्थना पत्र में लिख देने से कि भीखाराम वगैरा का प्रकरण चला था एवं उच्च न्यायालय से दिनांक 01.01.1997 को निर्णय होना दर्शाया गया है, जो अन्तिम हैं। लिखना, उल्लेख करना एवं मौखिक बताना पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थना पत्र में भीखाराम वगैरा प्रकरण की कोई प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की हैं। निर्णय की प्रति अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा चाही गई, किन्तु उक्त प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई। इस कारण निर्णय की प्रति नहीं दिलाई गई। प्रार्थी ने मात्र कपोल कल्पना के आधार पर तथ्यों को प्रस्तुत किया है, उसमें मूल आवंटन आदेश भी नहीं हैं, जिसे खारिज़ करवाने का अनुतोष चाहा हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण अपर्याप्त सामग्री के आधार पर प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध हैं तथा प्रार्थी स्वयं के दोषों का लाभ उठाना चाहता हैं। राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ, कि उक्त आवंटन को निरस्त करवाया जाए। प्रकरण हाजा तो प्रथम दृष्टया दर्ज योग्य ही नहीं था। जिन तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उन तथ्यों को साबित करने हेतु कोई रेकर्ड ही प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। यदि उच्च न्यायालय के कोई आदेश की पालना में उक्त कार्यवाही की जानी थी, तो निर्णय से प्रभावित व्यक्ति अर्थात भीखाराम वगैरा करवाते, जो न्यायालय के समक्ष आये ही नहीं हैं। वक्त आवंटन यदि प्रकरण किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, तो उसे बताने की जिम्मेदारी प्रभावित पक्षकार की होती है, तहसीलदार की नहीं। व्यथित व्यक्ति का स्थान प्रार्थी किसी भी स्थिति में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रार्थी एक अज़नबी व्यक्ति की हैसियत नहीं रखता हैं। प्रार्थी को यह प्रकरण उठाने का कोई हक नहीं हैं। उसकी सामग्री, तथ्य एवं विषयवस्तु किसी भी दशा

न्याo जिला कलक्टर, पाली

में सुसंगत नहीं हैं। इस सरसरी कार्यवाही के जरिये अप्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को नहीं छीन जा सकता हैं। भीखाराम वगैरा किसी भी दशा में इस प्रकरण में रूचिकर व सतर्क नहीं हैं। प्रकरण में निर्णय से पूर्व प्रकरण की अन्तर्वस्तु को देखना पड़ेगा, किन्तु उच्च न्यायालय का निर्णय एवं आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतियां नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रकरण चलने योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी को जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी का आवंटन किए कई वर्ष व्यतीत हो चुके है, इतनी लम्बी अवधि के पश्चात मात्र सरसरी कार्यवाही एवं तकनीकि कारणों से आवंटन को खारिज़ नहीं किया जा सकता हैं। किसी भी निर्णय, डिक्री, आदेश की पालना की उचित अवधि 12 वर्ष की होती हैं। उक्त अवधि के अवसान के बाद उसे लागू नहीं किया जा सकता हैं। 21 वर्षों के पश्चात तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश की पालना के तथ्यों को उज़ागर किया जा रहा हैं तथा इतनी देरी का कोई कारण ही प्रकट नहीं किया हैं। इस कारण यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। न्यायालय को प्रकरण की मेरिट से पूर्व मियाद के बिन्दु को निर्धारित करना आवश्यक हैं, किन्तु प्रार्थी ने देरी को कण्डोन करने हेतु मियाद अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया। सरसरी कार्यवाही को नियमित वाद की तरह मान कर अप्रार्थीगण को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता हैं, क्योंकि अप्रार्थीगण उच्च न्यायालय की कार्यवाही में कभी पक्षकार नहीं थे तथा न ही उन्हे इस विषय पर कभी सुना गया हैं। राज्य सरकार का क्या आदेश है ? यह रेकर्ड पर नहीं है एवं न ही स्पष्ट हैं, यहां तक की उसका सबूत भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में परिसीमा अवधि से परे जाकर मामले को पुनः खोलना राज्य सरकार' के क्षेत्राधिकार से परे है। अपीलाण्ट को बताना पड़ेगा कि राज्य सरकार प्रभावित पक्षकार कैसे हैं। मूल आवंटी ज़िन्दा है अथवा नहीं, उसके का0मु0 को रेकर्ड पर लिया गया अथवा नहीं ? उसके बाद भी क्या स्थिति बनती है, उनकू अधिकार प्रोद्भव हुए है, तो उसका क्या होगा। प्रार्थी के तथ्य मात्र कल्पना पर आधारित है। प्रकरण राज्य सरकार के लिए क्षतिकारक नहीं हैं। जिस व्यक्ति को अन्तरण किया गया, वह भूमिहीन व्यक्ति है, उसने उचित प्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की हैं। मामला कृषि जोत को बचाने का भी नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में मामला पुनः खोलने का आदेश मजबूत आधारों पर नहीं है, केवल अनुमानों एवं अटकलों पर आधारित हैं। प्रकरण को पुनः खोलने की राज्य की तरफ से दायित्व का निर्वहन भी सही नहीं हुआ हैं। उप शासन सचिव ने कठोर आधारों का उल्लेख किए बिना ही व नोटिस दिए बिना ही कार्यवाही को पुनः खोल दिया है, जो विधि विरूद्ध हैं। नवीन सीलिंग अधिनियम की धारा 17 (4) के प्रकरण में प्रावधानों की शक्तियां, छल कपट या मिथ्या निरूपण करके प्राप्त किए गए हैं। आवंटन पर लागू या नियमों के विरूद्ध किए गए आंवटन पर लागू है या आवंटी द्वारा शर्तों को भंग किये जाने पर लागू हैं। इसकी सीमा सीमित हैं। इस कारण न्यायालय का यदि को निर्णय है, तो वह रेकर्ड पर नहीं है, न ही अप्रार्थीगण को इसकी कोई जानकारी है। यदि कोई निर्णय, डिक्री, आदेश की पालना 12 वर्षो की अवधि गुजर चकी हो, तो उसकी पालना नहीं की जा सकती हैं। भीखाराम वगैरा ने न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा भूमिधारी के पास कोई ठोस आधार वाली सामग्री नहीं हैं। वह स्वयं इससे व्यथित पक्षकार नहीं है। जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण ने सुधार कार्य किया है तथा अप्रार्थीगण के मकानात आदि बने हुए है, जिसमें वे रहवास कर रहे हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की हो। इस स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज़ करावें।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ग्राम जाड़न के खसरा नम्बर 471 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा की भूमि का आवंटन को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। ग्राम जाड़न खालसा के खसरा नम्बर 471 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा की भूमि भीकाराम पुत्र वनाजी जाति सिरवी की खातेदारी भूमि थी, जो आदेश क्रमांक/273 दिनांक 23.02.1976 के अनुसार सिलींग में भूमि अवाप्त होने से उक्त भूमि अधिग्रहण की जाकर नामान्तरकरण संख्या 6 के जरिये राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज की गई। इसके पश्चात अधिग्रहण की गई भूमि में से कुल पाँच व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया। जिस सिलींग आदेश के जरिये भूमि का अधिग्रहण किया गया, उस आदेश को व्यथित पक्षकार श्री भीकाराम वगैरा द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। इस सम्बन्ध में राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 467/1975 में दिनांक 13.04.1976 को आदेश पारित करते हुए किसी प्रकार की भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं मानी हैं। जिसे सिलसिलेवार विभिन्न अपर न्यायालयों में चुनौती देते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1354/1984 दायर करवाई गई। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.1997 को आदेश पारित करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.1976 की पुष्टि करते हुए भीकाराम की खातेदारी भूमि को सिलींग में अधिग्रहण योग्य नहीं माना हैं। उक्त निर्णय के विरूद्ध सरकार द्वारा वृहद पीठ के समक्ष अपील दायर करवाई, जो अपील संख्या 69/1998 में दिनांक 30.03.1998 को निर्णय पारित करते हुए एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.1997 की पुष्टि करते हुए अपील खारिज़ की। इसके विरूद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से खारिज़ की गई। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.1997 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.1976 अन्तिम हो चुका हैं, जिसके अनुसार भीकाराम की भूमि सिलींग अधिनियम के तहत अधिग्रहण योग्य नहीं मानी हैं। उक्त निर्णयों के आलोक में प्रकरण से सम्बन्धित राजस्व अभिलेख की स्थिति ग्राम जाड़न खालसा के नामान्तरकरण संख्या 6 के कॉलम संख्या 4 से 7 के अनुरूप बहाल होनी है तथा तकनीकि रूप से प्रकरण से सम्बन्धित राजस्व अभिलेख दिनांक 23.02.1976 से पूर्व अनुसार हो चुका है, जिसके अनुसार उक्त सम्पूर्ण भूमि भीकाराम पुत्र वनाराम सिरवी की खातेदारी में दर्ज होनी हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि भूमि सिलींग में अधिग्रहण हेतु उपलब्ध ही नहीं रहती है, तो आवंटन की प्रक्रिया आरम्भ से ही शून्य प्रभावी होती हैं। चूंकि प्रकरण राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के नियम 17 (4) के तहत प्रस्तुत किया गया है, तो प्रथमतः उक्त नियम को रेखांकित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है। इसके अनुसार "विहित अधिशेष भूमि का आवंटन – (1) उपनियम, (2), (3), (4) तथा नियम 18, 19, 20, 20क तथा 21 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार में विहित अधिशेष भूमि जो कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण की विधि के अन्तर्गत है, राजस्थान भूमि राजस्व (कृषि के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 से आयोजना क्षेत्रों में तथा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत योजना क्षेत्रों में आवंटन की जावेगी।" इन नियमों के नियम 17 (4) के प्रावधान ठीक उसी प्रकार के हैं, जैसे की राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के प्रावधान है। जहां तक व्यथित पक्षकार का प्रश्न है, तो इन प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र देने वाले व्यक्ति की हैसियत इनफोरमर अर्थात सूचना देने वाले व्यक्ति जैसी होती है। यह जिला कलेक्टर के देखने की विषय वस्तु है कि क्या वास्तव में आवंटन नियमों के विरूद्ध हुआ है अथवा आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा नियमों की शर्तो का

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उल्लंघन किया गया है और तद्नुसार आवंटन कायम रखे जाने अथवा निरस्त करने का निर्णय करने का कार्य कलेक्टर का है। ऐसा व्यक्ति व्यथित पक्ष की संज्ञा में नही आता। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्दर्भित नियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु हितबद्ध व्यक्ति होना भी आवश्यक नही है। इस प्रकार तथाकथित रूप से यदि प्रार्थी हितबद्ध नही पाया जाता तो भी वह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। चूंकि प्रकरण में जिस आराजी को विवादित सम्बोधित किया गया है, उस आराजी के सम्बन्ध में हुए सीलिंग प्रकरण में अधिग्रहण आदेश को अन्तिम रूप से अपास्त किया जा चुका है तथा भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं मानी हैं। इस प्रकार जब भूमि ही अधिग्रहण योग्य नहीं रहती है, तो उस भूमि के अधिग्रहण एवं उसके पश्चात हुए आवंटन तो आरम्भ से ही शून्य प्रभावी हो जाते हैं, तद्नुसार प्रकरण हाजा में किया गया आवंटन भी शून्य प्रभावी होने से अपास्त किए जाने योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (4) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को ग्राम जाड़न के खसरा नम्बर 471 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा भूमि के आवंटन को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 29/7/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली